राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक : प 7(1)(3) पंचा/रानिआ/14–15/448 दिनांक : 13.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) (कलक्टर), राजस्थान।

विषयः–पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों में वीडियोग्राफी करवाने के सबंध में।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियत्रंण की सभी शक्तियां आयोग में निहित है। अतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है।

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से समय–समय पर जारी किए गए विभिन्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने एवं निर्वाचन से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं की व्यापक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सारगर्भित जानकारी संकलित करने के लिए वीडियोग्राफी कराई जानी आवश्यक है ताकि निर्वाचनों को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशन में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अतः पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में वीडियोग्राफी करवाने के संबंध में आयोग द्वारा जारी पत्रांक 2750 दिनांक 07.08.2019 को अधिक्रमित करते हुए पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन में वीडियोग्राफी करवाने के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता हैः–

A – ऐसी गतिविधियां जिनकी वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कराई जानी हैंः–

1. ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच।
2. मतदान के लिए ईवीएम तैयार करने एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखने संबंधी प्रक्रिया।
3. ऐसे मतदान बूथ जिनका गत चुनावों में बूथ कैपचरिंग/झगडा/दंगा आदि का पूर्व इतिहास रहा हो एवं जिन्हें वल्नरेबल (Vulnerable) एवं क्रिटीकल (Critical) बूथ घोषित किया गया हो।
4. मतदान के दौरान चुनाव संबंधित हिंसा/उपद्रव/पत्थरबाजी/आगजनी आदि की घटनाएं।
5. उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को डराने/धमकाने/लुभाने संबंधी गतिविधियां।
6. पर्यवेक्षक द्वारा निर्देशित कोई भी गतिविधि।
7. जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए सम्पूर्ण मतगणना प्रक्रिया।
8. यदि किसी भी पद का परिणाम अभिनिश्चित करने के लिए लॉट प्रक्रिया अपनाई जाती हैं, तो सम्पूर्ण लॉट प्रक्रिया।
9. मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीनों के एसडीएमएम एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मशीनों के डीएमएम को सील एवं संग्रहण करने संबंधी प्रक्रिया।
10. ऐसी अन्य गतिविधियां जो राजनैतिक दलो अथवा चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च को प्रदर्शित करती हो। जैसे बडे–बडे 'कट आउट'/होर्डिंग, बैनर इत्यादि।

B – ऐसी गतिविधियां जिनकी वीडियोग्राफी जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी अपने स्वविवेक के आधार पर कराने का निर्णय ले सकते हैं:–

निर्वाचन के दौरान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां ऐसी हो सकती हैं जिनकी वीडियोग्राफी कराने का निर्णय संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्समय ही लिया जा सकता है :–

1. चुनाव प्रचार हेतु की जाने वाली ऐसी सभाएं जिन्हें किसी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय जनप्रतिनिधियों द्वारा संबोधित किया जा रहा हो एवं उनमें आचार संहिता अथवा निर्वाचन विधि के उल्लघंन की शिकायत हो।
2. राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर मत याचना संबंधी गतिविधियां।
3. ऐसी अन्य कोई गतिविधियां जिनमें आचार संहिता अथवा निर्वाचन विधि का उल्लघंन हो रहा हो।
4. उक्त के अतिरिक्त ऐसी अन्य गतिविधियां जिनकी वीडियोग्राफी कराना जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी अथवा मौके पर उपस्थिति पुलिस अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाए।

C – पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन संबंधी गतिविधियों की वीडियोग्राफी हेतु नियोजित किए गए वीडियोग्राफर निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन रहेगें :–

1. वीडियोग्राफर का किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं होना चाहिए।
2. ऐसे वीडियोग्राफर की सेवाएं नहीं ली जाएं जिसका कोई अभिन्न मित्र या रिश्तेदार चुनाव लड रहा हो।
3. वीडियोग्राफर निर्वाचन अवधि के दौरान अपनी सेवाएं किसी राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार को उपलब्ध नहीं कराएगा।
4. वीडियोग्राफर राजनैतिक दलों/कार्यकर्ताओं का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा।
5. वीडियोग्राफर रिटर्निंग अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित चुनाव से सम्बन्धित अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेगा।
6. वीडियोग्राफर को कार्य सुपुर्द करने से पूर्व उन घटनाओं के बारे में स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि उसे किन घटनाओं की वीडियोग्राफी करनी है। यदि वीडियोग्राफर द्वारा उसे दिए गए निर्देशों से बाहर जाकर वीडियोग्राफी की जाती है तो ऐसी अवांछित रिकॉर्डिंग के लिए भुगतान नहीं किया जाए।
7. वीडियोग्राफर द्वारा निम्न प्रारूप में एक लॉग बुक का संधारण कर प्रत्येक रिकॉर्डिंग का इन्द्राज किया जाएगा। वीडियोग्राफी का कार्य समाप्त होने के पश्चात् वीडियोग्राफर द्वारा लॉग बुक को रिटर्निंग अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा।

जिले का नाम			पंचायत समिति का नाम		
दिनांक	समय	वीडियोग्राफी के स्थान का विवरण	रिकॉर्ड की गई घटना का विवरण	रिकॉर्डिंग का कुल समय	जिस अधिकारी के निर्देशन में वीडियोग्राफी कराई गई, उस अधिकारी का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6

8. रिकॉर्डिंग से पूर्व वीडियोग्राफर द्वारा वीडियो कैमरे में समय एवं दिनांक सेट किया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिकॉर्डिंग में समय एवं दिनांक डिस्पले हो रहा है।

9. वीडियोग्राफर एवं चुनाव से संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया जाए कि वीडियोग्राफी की गोपनीयता व सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि रिकार्डिंग के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न हो और न ही इस तक किसी अनाधिकृत व्यक्तियों की पंहुच हो।

D – रिकॉर्ड की गई गतिविधियों की निगरानी :–

रिटर्निंग अधिकारी ऐसी समस्त रिकार्डिंग का नियमित अवलोकन कर यह सुनिश्चित करेगें कि ऐसी सभाओं/गतिविधियों के आयोजकों/नेताओं/वक्ताओं/संभागीयों द्वारा किसी भी प्रकार से चुनाव नियमों या आदर्श आचार संहिता या वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टर, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध हेतु आयोग द्वारा लागू किए गए प्रतिबन्धों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। यदि किसी मामलें में आचार संहिता अथवा आयोग द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों का उल्लघंन पाया जाता है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में रिटर्निंग अधिकारी तुरन्त कार्यवाही करेगें।

E – रिकॉर्ड की गई सीडी/डीवीडी के रिकॉर्ड का संधारण :–

ऐसी समस्त रिकॉर्डिंग एवं अभिलेख जो इन आदेशों की पालना में तैयार किए गए हैं, चुनाव के अभिलेख का अंश माने जाएगे और इन्हें पूर्ण सावधानी एवं सुरक्षा के साथ तब तक संग्रहित रखा जाएगा जब तक कि इन्हें आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, जैसी कि अन्य अभिलेखों के बारे में निर्धारित है के अनुसार नष्ट नहीं किया जाता है। ऐसे समस्त अभिलेख, अन्य चुनाव सम्बन्धी अभिलेखों की भाँति ही सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जाएंगें। ऐसे समस्त सीडी/डीवीडी की रिकार्डिंग को दिनांक व स्थान तथा रिकॉर्ड की गई घटना के संक्षिप्त विवरण को दर्शित करते हुये रिकॉर्ड में रखा जायेगा।

F – रिकॉर्ड की गई सीडी/डीवीडी के रिकॉर्ड को उपलब्ध कराने के संबंध में:–

यदि राजैनतिक दलों अथवा चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों से रिकार्डिंग के अवलोकन एवं उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन प्राप्त होते रहते है तो ऐसे आवेदनों के निस्तारण हेतु समान मापदण्ड अपनाते हुए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए :–

1. रिकॉर्डिंग के निरीक्षण हेतु लिखित में प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर ऐसे आवेदक को रिकॉर्डिंग निरीक्षण के लिए 50/– प्रति घंटा का शुल्क लिया जाएगा। ''अत्यावश्यक निरीक्षण'' के लिए यही शुल्क 100/– प्रति घंटा होगा। साधारण निरीक्षण आवेदन की दिनांक के पश्चातवर्ती दिवस या बाद के किसी दिन करवाया जाएगा परन्तु ''अत्यावश्यक निरीक्षण'' की स्थिति में उसी दिन निरीक्षण करवाया जाएगा।

2. यदि किसी आवेदक द्वारा रिकॉर्डिंग की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जाता है तो :–

   (क) आवेदक को रिकॉर्डिंग की प्रमाणित प्रति 50/–रूपये के आवेदन शुल्क एवं स्थानीय स्तर पर निर्धारित व्यय, लेकर दी जा सकेगी। ऐसे प्रत्येक आवेदक को निरीक्षण करने एवं प्रति प्राप्त करने के अपने अधिकार को साबित करना होगा एवं यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा कि आवेदक का उस रिकॉर्डिंग में किस प्रकार से समुचित हित निहित है।

(ख) सरकारी उपयोग हेतु निरीक्षण या प्रति प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। रिकार्डिंग से किसी प्रकार की छेड़छाड़ या नुकसान नहीं हो, इस के लिए प्रभावी सर्तकता रखी जाएगी एवं रिकॉर्डिंग का एकाधिक व्यक्तियों द्वारा सामुहिक निरीक्षण भी वर्जित रहेगा।

3. किसी रिकॉर्डिंग की विषय वस्तु के बारे में किसी प्रकार की प्रमाणिकता या सत्यापन नहीं दिया जाएगा बल्कि "जैसी है, जहां है" के आधार पर उपलब्ध करवायी जाऐगी।

भवदीय,

13/1/26

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः– प 7(1)(3) पंचा/रानिआ/14–15/449-455 दिनांक : 13.01.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
6. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई–मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

13.1.2026

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान